

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2021-22/ 782

दिनांक :- 03/02/22

निमित्त,

अधिशायी अभियंता,
सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पीडब्लूडी),
अजमेर सर्किल, अजमेर।

विषय:- Diversion of 4.47 Hectare Forest Land for Widening and Curve Improvement on Existing Road Alignment between existing chainage 17.350 km to 19.600 km of Kishangarh Hanumangarh Mega Highway Project village Chakbeer, Tehsil Roopangarh, Distt. Ajmer. Forest land diversion.FP/RJ/ROAD/18883/2016

संदर्भ:- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के आदेश पत्रांक 6474 दिनांक 17.12.21, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)राजस्थान जयपुर द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3575 दिनांक 08.12.2021 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8बी/राज/06/19/2020/एफ.सी. दिनांक 30.11.2021 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8बी/राज/06/19/2020/एफ.सी. दिनांक 30.11.2021 की सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है जिसमे उपरोक्त प्रकरण मे शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुई है। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग-अलग पांच प्रतियों में भिजवावे एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावे ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8बी/राज/06/19/2020/एफ.सी. दिनांक 30.11.2021 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या 2 एवं 5 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य NFL खसरा/कम्पार्टमेन्ट संख्या 754 ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर पर किये जाने हेतु वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से जमा की जायेगी। वर्तमान श्रमिक दर 252/- को समायोजित करते हुए क्षेत्रीय पुष्कर अनुसार प्राक्कलन अनुसार राशि निम्नानुसार है:-	1905486/-	कुल राशि रु. 7455374/- को OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	शर्त बिन्दु संख्या 5 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि खसरा/कम्पार्टमेन्ट संख्या 754 ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर के चारो ओर सभी कोनो एवं मोड़ो पर कुल 12 मीनारो का निमार्ण प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा किया जावेगा जिस हेतु वर्तमान दरो पर मीनार निमार्ण राशि 2170/- प्रति मीनार की दर से वर्तमान दरो को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से जमा की जायेगी। 2170 x 12Nos=26040/-	26040/-	
3	शर्त बिन्दु संख्या 6 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दरे अनुसार राशि को समायोजित करते हुए। 4.47 ha. x 957780 = 4281277/-	4281277/-	

4	शर्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किये गये उल्लंघन हेतु Penal NPV राशि की गणना उल्लंघन होने की दिनांक से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने की दिनांक 30.11.2021 तक पैरा 1.21(ii)a&b of FCA hand book 2019 अनुसार गणना निम्नानुसार है:- $0.5592 \times 0.2 \times 5 \times 957780$ (Penal Area $0.12 \times 20\%$ Per year X year of Violation (Year 2007 to 2011) X NPV cost) = 535591 + total of above X 12% Interest from year 2012 to 2022 = 535591 X 12% X 11 years = 706980/- so over all total Amount of is 1242571/- उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी राशी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओं की पालना मध्य अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	1242571/-	
	क्र.सं. 1 व 4 का योग	7455374.00	

उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या 3 की पालना में 4.47 हैक्टर गैर वन भूमि ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर को वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कराते हुए तुरन्त दस्तावेज इस कार्यालय को प्रेषित करावे ताकि बिन्दु संख्या 4 की पालना में उक्त भूमि को रक्षित/आरक्षित कराने की प्रक्रिया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व पूर्ण कराई जा सके। साथ प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबार में प्रकाशन सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति के सभी बिन्दुओं की एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)राजस्थान जयपुर द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3575 दिनांक 08.12.2021 द्वारा जारी आदेश के सभी बिन्दुओं की अक्षरत् पालना रिपोर्ट मध्य आवश्यक अण्डरटेकिंग के प्रस्तुत करावे ताकि प्रकरण में अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कीरने हेतु उच्च कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

 (सुनील चिट्री)
 उप वन संरक्षक
 अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आलोच्य प्रकरण में सक्षम स्तर से बिना विधिवत स्वीकृति जारी हुए कोई भी कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ना किया जावे तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन ना किया जावे यह सुनिश्चित करे।(सैद्धान्तिक स्वीकृति संलग्न)

/

उप वन संरक्षक
 अजमेर